

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
आदेश

आदेश सं०— 3259

/पटना, दिनांक— 23.06.25

विभागाधीनस्थ क्षेत्रीय संस्थानों के अराजपत्रित कर्मियों को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने हेतु दिनांक—24.04.2025 को आहूत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित कर्मियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 एवं 6 में अंकित अभियुक्ति के अनुसार ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्र०	कर्म का नाम, पदनाम एवं पदस्थापित संस्थान	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	सेवा में प्रथम योगदान की तिथि	अनुमान्य ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि/वेतनमान/वेतन स्तर/अन्यान्य	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी, सेवानिवृत्त पुरतकक्ष्य, भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर	01.12.1958 / 30.11.2018	09.12.1986	तृतीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की तिथि—09.12.2016 वेतनमान—वेतन स्तर—7	पूर्व में इनकी सेवा दिनांक—31.01.1991 से नियमित थी। दिनांक—09.12.1986 के प्रभाव से सेवा निरंतरता का लाभ प्रदान किया गया है। अतः दिनांक—09.08.1999 से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान 4500—7000/— में एवं दिनांक—01.01.2009 से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान—9300—34800 ग्रेड पे—4200 में संशोधित।
2	आदिल रसीद खॉं, सेवानिवृत्त चालक, मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी	12.04.1964 / 30.04.2024	31.01.1991	तृतीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की तिथि—31.01.2021 वेतनमान—वेतन स्तर—6	
3	निरंजन कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त प्रयोगशाला सहायक, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर	13.04.1959 / 30.04.2019	16.01.1997	द्वितीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की तिथि—16.01.2017 वेतनमान—वेतन स्तर—8	
4	प्रेम नारायण सिंह, सेवानिवृत्त कैम्पस सुपरवाइजर, राजकीय पोलिटेक्निक, गया	03.02.1963 / 28.02.2023	31.01.1991	1. प्रथम ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की तिथि—31.01.2003 वेतनमान—3200—4900/— 2. द्वितीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की तिथि—31.01.2011 वेतनमान—5200—20200/— ग्रेड पे—2400/— 3. तृतीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की तिथि—31.01.2021 वेतनमान—वेतन स्तर—लेवल—5	
5	प्रमोद कुमार सतरा, प्रयोगशाला सहायक, भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर	09.02.1966 / 28.02.2026	22.08.1994	तृतीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की तिथि—22.08.2024 वेतनमान—वेतन स्तर—9	

2. भविष्य में कोई भी त्रुटि पाये जाने/उपदर्शित होने पर तदनुसार इसमें आवश्यक संशोधन किया जायेगा तथा इस उन्नयन के फलस्वरूप अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित कर्मियों से कर ली जायेगी।

3. संबंधित कार्यालय प्रधान को निदेशित किया जाता है कि सेवा पुस्त की प्राप्ति हेतु किसी कर्मी को प्राधिकृत कर भेजना सुनिश्चित किया जाय।

19/6/25
(अहमद महमुद)
निदेशक

ज्ञापांक-वि०प्रा०(III) स्था०-15/2022/ 3259 /पटना, दिनांक:- 23.06.25
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी संबंधित प्राचार्य/कार्यालय प्रधान/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) एवं सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/6/25
निदेशक